न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 65/2012 जिला सीकर

1. मनोहरलाल दत्तक पुत्र स्व0 गंगाबक्ष जाति जाट निवासी पौषाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। —अपीलान्ट

बनाम

1. रामकुवार पुत्र गौपीराम
2. हरलाल पुत्र गौपीराम
3. रामचन्द पुत्र मौबीराम
4. रामकरण पुत्र मौबीराम
5. दिलसुख पुत्र मौबीराम समस्त जाति जाट निवासी पौषाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। —रेसपोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर दिनांक 19.07.2012 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 05.01.2004 ग्राम पौषाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राजस्थान)।

उपस्थित—
1. श्री श्यामबाबू पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री के.आर.शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक —27.09.2022

तिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, के निर्णय दिनांक 19.07.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामकुवार पुत्र गौपीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समक्ष ग्राम पंचायत खींवासर के द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नं. 243 व 251 कुल किता 2 रकबा 4.46 है0 वाके ग्राम पौषाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित भूमि के खोले गये नामान्तरकरण संख्या 342 को गलत बताते हुये आदेश दिनांक 05.01.2004 को निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण 342 दिनांक 05.01.2004 को निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को पुनः सही जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।
3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 19.07.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट मनोहरलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.07.2012 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नं. 243 व 251 कुल किता 2 रकबा 4.46 है0 वाके ग्राम पौषाणी तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित भूमि के 1/3 भाग का गंगाबक्ष रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। गंगाबक्ष की मृत्यु दिनांक 09.06.2003 के उपरान्त पंजीकृत गोदनामा के आधार पर ग्राम

Scanned by CamScanner

पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण संख्या 342 खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या–1 सीकर के विरूद्ध अपील विचाराधीन होने के बावजूद भी अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना मियाद बाहर अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.01.2004 को अपास्त कराये जाने का निर्णय दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 19.07.2012 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि गंगाबक्ष को देहान्त निःसंतान हुआ था। ग्राम पंचायत ने उत्तराधिकारियों की जॉच किए बिना एवं गोदपत्र की सत्यता की जॉच किए बिना ही अपीलांट के हक में नामान्तरकरण स्वीकार करने में कानूनी गलती की है। इस तथाकथित गोदनामा को अपर जिला न्यायाधीश सीकर द्वारा निरस्त कर अपीलांट को दत्तक पुत्र नहीं माना है एवं इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में अपीलांट द्वारा की गई जिसमें भी कार्यवाही पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में जो नामान्तरकरण दत्तक पुत्र की हैसियत के आधार पर भरा गया था, वैध नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के द्वारा नामान्तरकरण 342 दिनांक 05.01.2004 को निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पुनः खातेदारान/हिताधिकारियों की सही जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 342 दिनांक 05.01.2004 मूल रूप से खातेदार गंगाबक्ष की मृत्यु हो जाने पर गोदनामा के आधार पर भरा गया था एवं उक्त गोदनामा को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है। जहॉ तक अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर अपील पेश करने के विन्दु पर गौर नहीं किया इस संबंध में हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील गुण–दोष के आधार पर स्वीकार की गई है इसलिए अपील पेश करने में हुई देरी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा–5 के आधार पर क्षम्य किया जाना अवधारित (presumed) है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा नामान्तरकरण 342 दिनांक 05.01.2004 को निरस्त कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ को पुनः खातेदारान/हिताधिकारियों की सही जॉच करने के ही आदेश दिये गये हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 19.07.2012 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 19.07.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पारीक)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner